

प्रेषक,

अच्छे लाल सिंह यादव,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आयुक्त,
ग्राम्य विकास,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

ग्राम्य विकास अनुभाग-2

लखनऊ: दिनांक 22 जनवरी, 2020

विषय:- वित्तीय वर्ष 2019-20 में जिला ग्राम्य विकास अभिकरण के कार्मिकों को दिनांक 01 जनवरी, 2016 से 31 दिसम्बर, 2016 तक पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स में वेतन तथा मंहगाई भत्ते के अवशेष भुगतान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-3443/लेखा पेंशन/डी0आर0डी0ए0/प्रशा0/2019-2020, दिनांक 18 दिसम्बर, 2019 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से वित्तीय वर्ष 2019-20 में अनुदान संख्या-13 के अधीन लेखाशीर्षक "2501-ग्राम विकास के लिये विशेष कार्यक्रम-01-समेकित ग्राम विकास कार्यक्रम-800-अन्य व्यय-02-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन-0202-जिला ग्राम्य विकास अभिकरण (के. 60/रा. 40-के.+रा.)-53-पुनरीक्षित वेतन का अवशेष (राज्य सहायता)" में जिला ग्राम्य विकास अभिकरण के कार्मिकों को दिनांक 01 जनवरी, 2016 से 31 दिसम्बर, 2016 तक पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स में वेतन तथा मंहगाई भत्ते के अवशेष भुगतान किये जाने हेतु धनराशि ₹0 3,16,49,742.00 (रुपये तीन करोड़ सोलह लाख उन्चास हजार सात सौ ब्यालीस मात्र) अवमुक्त किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जिला ग्राम्य विकास अभिकरण में कार्यरत कार्मिकों को पुनरीक्षित वेतन के अवशेष का चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 में निर्धारित भुगतान करने हेतु अनुदान संख्या-13 के अधीन लेखाशीर्षक "2501-ग्राम विकास के लिये विशेष कार्यक्रम-01-समेकित ग्राम विकास कार्यक्रम-800-अन्य व्यय-02-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन-0202-जिला ग्राम्य विकास अभिकरण (के. 60/रा. 40-के.+रा.)-53-पुनरीक्षित वेतन का अवशेष (राज्य सहायता)" में प्रावधानित धनराशि ₹0 624.38 लाख के सापेक्ष धनराशि ₹0 3,16,49,742.00 (रुपये तीन करोड़ सोलह लाख उन्चास हजार सात सौ ब्यालीस मात्र) को पुनरीक्षित वेतन का अवशेष (राजकीय) भुगतान की अपरिहार्यता के दृष्टिगत निर्गमितकरते हुये आपके निवर्तन पर निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

- (1) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-जाप संख्या-1/2019/बी-1-170/दस-2019-231/2019, दिनांक 22 मार्च, 2019 में लिये गये निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा तथा वित्तीय स्वीकृति के सापेक्ष एकमुश्त आहरण न किया जाय। साथ ही निर्धारित केन्द्रांश को भारत सरकार से प्राप्त करने व निर्धारित स्तर तक केन्द्रांश व राज्यांश की धनराशि का समयोजन किया जायेगा।
- (2) उक्त धनराशि के व्यय में नितव्यययिता के संबंध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- (3) योजनान्तर्गत धनराशि का आहरण स्वीकृत धनराशि की सीमा तक किया जायेगा तथा आहरण में वित्तीय नियमों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। आहरित धनराशि का व्यय जिला ग्राम्य विकास अभिकरण प्रशासन मद योजनान्तर्गत भारत सरकार व राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी दिशा/निर्देशों के अनुरूप ही किया जायेगा। धनराशि के आहरण-वितरण के लिये संबंधित

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <https://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

जनपदों के वरिष्ठ लेखाधिकारी, वित्त नियंत्रक व लेखाधिकारी यथास्थिति पूर्णतया जिम्मेदार होंगे। यदि कभी भी वित्तीय नियमों का उल्लंघन होता है, तो इसकी सूचना तत्काल आयुक्त, ग्राम्य विकास उ०प्र० को दी जायेगी।

- (4) केन्द्रांश एवं राज्यांश की धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र राज्य सरकार एवं भारत सरकार को समयान्तर्गत प्रेषित किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा तथा वर्ष के अन्त में अप्रयुक्त धनराशि दिनांक 31 मार्च, 2020 को समर्पित कर दी जायेगी।
- 3- उक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-13 के अधीन लेखाशीर्षक "2501-ग्राम विकास के लिये विशेष कार्यक्रम-01-समेकित ग्राम विकास कार्यक्रम-800-अन्य व्यय-02-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन-0202-जिला ग्राम्य विकास अभिकरण (के. 60/रा. 40-के.+रा.)-53-पुनरीक्षित वेतन का अवशेष (राज्य सहायता)" के नामें डाला जायेगा।
- 4- यह आदेश वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-2 के अशा० पत्र संख्या-यू०ओ०-ई-2-48/दस-2020-दिनांक 21 जनवरी, 2020 में प्राप्त उनकी सहमति से किया जा रहा है।

भवदीय,

अच्छे लाल सिंह यादव
विशेष सचिव।

संख्या-3/2020/डी-1013(1)/38-2-2019 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम /द्वितीय, उ०प्र० प्रयागराज।
- 2- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ०प्र० प्रयागराज।
- 3- अपर आयुक्त (वित्त) ग्राम्य विकास विभाग, जवाहर भवन, लखनऊ
- 4- समस्त जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी/कोषाधिकारी, उ०प्र०।
- 5- निदेशक, कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ।
- 6- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2/ वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-2/राज्य योजना आयोग-1/2 तथा नियोजन अनुभाग-3
- 7- ग्राम्य विकास अनुभाग-3
- 8- गार्ड बुक।

आज्ञा से,

रमेश चन्द्र मिश्र
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रॉनिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।